भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(6)नविवि/फलौदी/2024 **जयपुर, दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षरित**

<u>अधिसूचना</u>

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2024 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित फलौदी मास्टर प्लान–2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2025 को समाप्त हो चुकी है, जिसे एतद्द्वारा दिनांक 31.12.2026 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 के द्वारा अधिसूचित ''फलौदी नगरीय क्षेत्र'' के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, फलौदी।
7. अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, फलौदी (जिला–फलौदी)।
10. अतिरिक्त निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :23-02-2026 05:54:25

RajKaj Ref No.: 20704333
eSign DSC